भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 202

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

ईएसआई अंशदान में कटौती

***202. श्री सुधीर गुप्ता:**
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम में देश में विभिन्न कंपनियों पर कतिपय मापदंड लागू होने की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी लाभों के लिए पात्र औद्योगिक कामगारों के वेतन से लिये जाने वाले अंशदान को 6.5 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत किया गया है/किये जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव से देशभर में लाभान्वित होने वाले संभावित कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने हेतु कर्मचारियों को पंजीकृत करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कार्यक्रमों के परिणाम क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने ईएसआई योजना कवरेज का देशभर में चरणबद्ध तरीके से समस्त जिलों तक विस्तार करने का भी निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

ईएसआई अंशदान में कटौती के संबंध में श्री सुधीर गुप्ता और श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा दिनांक 8.7.2019 के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 202 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई अधिनियम) क.रा.बी. अधिनियम की धारा 1(3) के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों पर लागू है। प्रथमदृष्टया क.रा.बी. अधिनियम, उस क्षेत्र में अधिनियम की धारा 2(12) के अंतर्गत मौसमी कारखानों को छोड़कर प्रचालित सभी कारखानों पर (सरकारी कारखानों सहित) जिनमें 10 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित हों, लागू है। इसके अतिरिक्त, क.रा.बी अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत समुचित सरकार उन सभी प्रतिष्ठानों अथवा प्रतिष्ठान की श्रेणियों, उद्योग, वाणिज्य, कृषि अथवा अन्यथा को अधिसूचित कर सकती है, बशर्ते कि राज्य के किसी भाग में जहां क.रा.बी. अधिनियम के उपबंध प्रभावी बनाए गए हों, उक्त उपबंध ऐसे किन्हीं प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठानों की श्रेणी पर विस्तारित होंगे जो उस भाग के अंतर्गत उस राज्य के किसी अन्य भाग में समान प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठानों की श्रेणी पर विस्तारित किए गए हों। इसके अतिरिक्त, 21,000/-रुपये प्रतिमाह (अशक्त व्यक्तियों के मामले में 25,000/-रुपये प्रतिमाह) की मजदूरी अर्जित करने वाले कर्मचारी क.रा.बी. योजना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।

(ख): जी, हां। क.रा.बी. अंशदान की दर को 01.07.2019 से 6.5 प्रतिशत की दर से घटाकर (कर्मचारी को देय मजदूरी के 4.75 प्रतिशत की दर से नियोक्ता का अंशदान और 1.75 प्रतिशत की दर से कर्मचारी का अंशदान) 4 प्रतिशत (कर्मचारी को देय मजदूरी के 3.25 प्रतिशत की दर से नियोक्ता का अंशदान और 0.75 प्रतिशत की दर से कर्मचारी का अंशदान) कर दिया गया है ताकि कर्मचारी तथा नियोक्ताओं के भार को कम किया जा सके और क.रा.बी. योजना की व्याप्ति के साथ-साथ अनुपालन में सुधार तथा कार्य की सुगमता की दिशा में बेहतर योगदान भी किया जा सके।

(ग): पूरे देश में उक्त प्रस्ताव के माध्यम से लगभग 3.60 करोड़ कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है।

(घ): कर्मचारी राज्य बीमा निगम 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत क.रा.बी. योजना का विस्तार नव-क्रियान्वित क्षेत्रों तक किया गया था। क.रा.बी. योजना का विस्तार कुल 722 जिलों में से 541 जिलों तक किया गया है।

(ङ): क.रा.बी.योजना के छत्र में अधिक से अधिक इकाईयों तथा उनके कर्मचारियों को लाने के लिए समय-समय पर आवधिक सर्वेक्षण कराए जाते हैं। 01.07.2019 से 3 माह की अवधि के लिए सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। क.रा.बी. अधिनियम का विस्तार वर्ष 2022 तक पूरे देश भर में करने का निर्णय लिया गया है।

******